रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 1985/अग्रहायण 29, 1907
No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 1985/AGRAHAYANA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order thrt it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 57 आई टी सी (पी एन) /85-88

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1985

विषय— इटेलियन क्रेडिटों के लिए लाईसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आईपीसी / 23(22)/84-85:—इटेलियन क्रेडिटों के अधीन आयातों को शासित करने वाले नियम तथा शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक
आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 57 आई टी सी (पीएन)/85-88, दिनांक 20-12-85 के लिए परिशिष्ट।

लाईसेंस शर्तें:—

1. इटली गणतंत्र की सरकार भारत की सरकार को दोनों सरकारों के बीच पारस्परिक सहमति से विशेष परियोजनाओं के लिए इटेलियन माल और सेवाओं के मूल्य के वित्तपोषण के लिए द्विपक्षी आधार पर सॉफ्ट क्रेडिट और अनुदान की व्यवस्था करती है। वित्तपोषण के लिए प्रत्येक क्रेडिट के लिए धन निकालने, धन लौटाने और ब्याज के भुगतान आदि के लिए भारत सरकार और मीडियोक्रेडिटो सेन्ट्रल के बीच में एक वित्तीय समझौता तय किया गया है। अनिवार्यत: क्रेडिट की धनराशि इटेलियन संभरकों को केवल सीधे भुगतान के लिए ही उपलब्ध है। इन क्रेडिट फन्डों के मद्दे भारत सरकार परियोजना के धारक को भारत सरकार की आयात नीति के अनुसार उपयुक्त आयात लाईसेंस जारी करने की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा आबंटित करती है। परियोजना के धारक / आयातक को परियोजना के धारक / आयातक की ओर से क्रेडिट फन्ड में से इटेलियन संभरकों को किए गए भुगतानों के मद्दे भारत सरकार के लेखे में फन्ड के समतुल्य रुपए को जमा करना है।

2. इटली की सरकार क्रेता के क्रेडिटों के रूप में निर्यात क्रेडिटों, संभरक क्रेडिटों या भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए क्रेडिट लाइसेन्स के रूप में इटली में वित्तीय संस्थानों को प्राधिकृत करने के लिए भी सहमत हो गई है। इन क्रेडिटों की मूल शर्तें अन्त: सरकारी करार दिनांक 25-1-85 में निहित हैं जिसकी एक प्रति अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है। ऐसे निर्यात क्रेडिटों के लिए एक ऋण समझौता उधार लेने वाले और उधार देने वाले के बीच तय किया जाना है और इसके साथ भारत सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय बैंक या संस्थान द्वारा एक गारन्टी देनी होगी, बहरहाल, संभरकों के क्रेडिट के लिए क्रेडिट शर्तें, उपयुक्त गारन्टी के साथ सप्लाई क्रेडिट में ही शामिल करनी होंगी।

3. सरकारी क्रेडिटों/अनुदानों एवं इटली से निर्यात क्रेडिटों का उपयोग भिन्न भिन्न परियोजना के संबंध में दोनों सरकारों के बीच परस्पर सहमति या तो स्वतंत्र रूप से या मिश्रित वित्तपोषण के आधार पर किया जा सकता है। इन क्रेडिटों के संबंध मे प्रबंधकीय कार्रवाई और अनुमोदन भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा किया गया है।

4. इटेलियन प्राधिकारियों द्वारा उपयोग की गई शर्तें और संचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा आयातकों/परियोजना के धारकों की सूचना एवं अनुपालन के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां और लाईसेंसिंग शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह तत्काल से ही लागू होती है और समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले आशोधनों के साथ लागू रहेंगी।

I. परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन

I. 1. इटेलियन क्रेडिटों द्वारा वित्तपोषण की जाने वाली प्रत्येक परियोजना के लिए इटेलियन प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। ऐसे अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए 4 प्रतियों में एक स्वत: स्पष्ट नोट में निम्नलिखित ब्यौरों को आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी डिवीजन) को भेजना आवश्यक है :—

(क) अनुमानित मूल्य के साथ परियोजना का विस्तृत विवरण, उसके शुरू करने और चालू करने की तिथियां परियोजना का स्थान और कार्यान्वियत करने वाले प्राधिकारी के ब्यौरे जिनमें विशेषरूप से उनके पदों को दर्शाया जाए (सामूहिक है या अन्यथा रूप से है) परियोजना आदि को कार्यान्वियत करने के लिए प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता।

(ख) परियोजना का विकासात्मक महत्व (अर्थात् रोजगार अभिमुख, ग्रामीण विकास, महत्वपूर्ण क्षेत्रों,) जैसे कृषि, ऊर्जा आदि से सम्बन्ध यदि लागू हो तो परियोजना निवेश और योजना में इसके शामिल किए जाने का अनुमोदन।

(ग) लाभ के संदर्भ में लाभ मूल्य का विश्लेषण जिसमे गैर-मौद्रिक संबंधित सामाजिक लाभांक का समान्य मूल्यांकन शामिल हो।

(घ) मुख्य संघटकों में कुल मूल्य का विश्लेषण जिसमे प्रत्येक संघटक के लिए विदेशी मुद्रा के अवयव को दर्शाया जाए।

(ङ) इटेलियन मूल के माल और सेवाओं की मदें और मूल्य और इनके साथ यदि पहले से ही अभिज्ञात हों तो उन संभरकों के नाम और यदि ऐसा न हो तो उनका अनुमान और मूल्य तथा स्रोत के अनुमान के आधार। संभरको के चयन के लिए अपनाई गई (निविदाओ सौदों आदि) या अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रापण पद्धति।

I. 2. चूंकि इटेलियन मूल (साफ्ट क्रेडिट, निर्यात क्रेडिट, मिश्रित वित्तपोषण आदि) के माल और सेवाओ के आयातों के वित्तपोषण के स्रोत दोनों सरकारों के बीच पारस्परिक सहमति के लिए किए जाने हैं इसलिए पूंजीगत माल समिति तथा अधिकार प्राप्त समिति के लिए आवेदकों सहित सभी इच्छुक आयातकों के लिए एक स्वत: स्पष्ट नोट आर्थिक कार्य विभाग (ई ई सी डिवीजन) को शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यह उन्हे पूंजीगत माल/अधिकार प्राप्त समिति को आवेदन करने के काफी पहले करना चाहिए। पूंजीगत माल/अधिकार प्राप्त समिति को किए गए आयातक के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जा सकता है यदि आर्थिक कार्य विभाग ने एक स्वत: स्पष्ट नोट प्राप्त कर लिया हो और उसके लिए उत्तर भी उपलब्ध हो।

II. इटेलियन क्रेडिट के अधीन आबंटन

II. 1. इटेलियन क्रेडिट राशि के मदे विदेशी मुद्रा का आबंटन/रिलीज अन्य बातों के साथ साथ इटेलियन प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने पर आर्थिक कार्य विभाग (ई. ई. सी डिवीजन) द्वारा की जाएगी।

II 2. यदि डी ई ए द्वारा भिन्न रूप से स्वीकृति न दे दी जाए तो पात्र मामलों में आयातक को चार महीनों की अवधि के भीतर आयात लाईसेंस प्राप्त करके आबंटनों/रिलीजो का प्रभावी रूप से उपयोग करना होगा। यदि इस अवधि के भीतर डी ई ए द्वारा -(1) समय सीमा की वृद्धि के लिए कारणों सहित आवेदन या (2) प्राप्त आयात लाईसेंस की एक प्रति (दो प्रतियों में) या (3) खुले सामान्य लाइसेंस की मदों के मामले में यह सूचना कि आदेश दे दिया गया है, की प्राप्ति न हो तो डी ई ए आबंटन/रिलीज को निरस्तर कर देगा।

III. आयात लाईसेंस

III. 1. आयात लाईसेंस मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी सी. आई. एन्ड ई.) द्वारा आयात नीति के अनुसार जारी किया जाएगा। आयात लाइसेंस में:—

(क) ठेका करने के लिए चार मास की वैधता अवधि होगी जो आगे चार मास तक अवधि के लिए उचित कारण देते हुए आवेदन करने पर बढ़ाई जा सकती है। जारी होने की अवधि से आठ मास से अधिक वृद्धि के लिए कोई भी आवेदन डी ई ए को भेजना होगा जिस पर डी ई ए द्वारा विशेष रूप से पात्र मामलों में ही विचार किया जाएगा।

(ख) आयात लाईसेंस उसके जारी होने की तिथि को मुद्रा विनियम की प्रचलित सीमा शुल्क दर, जो लाइसेंस में निर्विष्ट की जाएगी, पर लागत बीमा-भाड़ा आधार पर गिने गये रुपये को प्रदर्शित करेगा।

(ग) आयात लाईसेंस में सामान्यत: पोतलदान पूर्ण करने के लिए पूंजीगत माल के मामले में 24 मास और अन्य मामलो में 12 मास की वैधता अवधि दी गई होगी।

(घ) आयात लाइसेंस मे "इटेलियन क्रेडिट" एक प्रत्यय होगा।

(ङ) आयात लाईसेंस में उसका मूल्य और भारतीय एजेन्ट को चुकाया जाने वाला कमीशन, यदि कोई होगा, शामिल होंगे।

III. 2. आयात लाइसेंस जारी होने के तुरन्त बाद आयातक को लाइसेंस की दो फोटो प्रतिया और इटेलियन संभरक के साथ ठेके की प्रत्याशित तिथि की सूचना डी ई ए को भेजनी चाहिए।

IV. संभरक के साथ ठेका

IV. 1. आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि इटेलियन संभरक के साथ ठेका शीघ्र ही ऊपर 3 1 (क) में निर्विष्ट वैधता अवधि के भीतर निर्णीत हो जाए।

IV. 2 जब तक डी ई ए द्वारा अग्रिम रूप से अन्य प्रकार से स्वीकृति न दे दी जाए, एक आयात लाईसेंस के मद्दे केवल एक ही ठेका निर्णीत किया जाएगा। ठेके का मूल्य भी डी ई ए द्वारा आबंटित या रिलीज किए गए इटेलियन ऋण के मूल्य के बराबर होना चाहिए। अन्य संसाधनों से प्राप्त जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का आंशिक वित्तपोषण विशेष रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए।

IV. 3. प्रत्येक ठेका निरपवाद रूप से पूर्ण, स्वत पूर्ण दस्तावेज, आयातक और इटेलियन संभरक द्वारा अनुमोदित और स्वीकृति सहित दोनों हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसा ठेका जिसमें पार्टियो, के पात्राचारो की श्रृंखला हो, या जो भारतीय एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित और स्वीकृत हो, स्वीकार नही किया जाएगा।

IV. 4. ठेके में किया जाने वाला कोई संशोधन या आशोधन भी आयातक और संभरक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और उनकी सूचना मूल ठेके के समान ही दस प्रतियों मे आयातक द्वारा तुरन्त डी ई ए को भेजी जानी चाहिए। यदि आयात लाईसेंस मे कोई आवश्यक संशोधन हो तो उसका भी आयातक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

V. ठेके के नियम एवं शर्तें

आयातक को निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के सही अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए—

1 मुद्रा चूंकि इटेलियन ऋण यू एस डालर में है इसलिए ठेका, यू एस डालर में अभिहित होना चाहिए और सभरक को भुगतान की व्यवस्था यू एस डालर में होनी चाहिए। इस प्रावधान से कोई छूट ठेके के निर्णय से पहले ही डी ई ए से अवश्य अनुमोदित करा लेनी चाहिए।

2 मूल्य — ठेके में जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य, लागत और भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा आधार पर निश्चित मूल्य निर्दिष्ट होना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणों से मूल्य में वृद्धि होती है तो नियत सीलिंग के साथ एक विस्तृत सूत्र की व्यवस्था की जाए। जब तक समुद्री बीमे का भारतीय बीमा कम्पनी से ठेका न कर लिया जाए तब तक ठेका सामान्यतः लागत बीमा भाड़ा आधार पर होना चाहिए। ठेके के प्रत्येक मामले में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत, भाड़े के खर्चे और बीमे की लागत और यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट का कमीशन अलग-अलग और विशेष रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए, ऐसा कमीशन एजेन्ट को आयातक द्वारा केवल भारतीय रुपये में देय होगा और यह ठेके में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।

3 न्यूनतम कीमत — इटेलियन क्रेडिट के अधीन पात्र ठेकों के लिए न्यूनतम कीमत (जहाज पर्यन्त निशुल्क) 3,00,000 डालर है।

4 माल का उद्गम स्थान

4 1 इटेलियन ऋण मुख्यतः केवल उसी माल और सेवाओं के भुगतान के लिए उपलब्ध है जिनका उद्गम इटली में हुआ हो, लेकिन इन माल और सेवाओं में यह माल और सेवाएं भी शामिल की जा सकती हैं, जिनका मूल स्थान अन्य देश से हो परन्तु इटेलियन सभरक द्वारा उनके लिए उप ठेका किया गया हो और किए जाने वाले वितरणों में शामिल किए गए हों और वे सभरकों के उत्तरदायित्व में हों और इटेलियन प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं और शर्तों के समरूप हों। इस उद्देश्य के लिए माल के मूल स्थान के विषय में एक निर्धारण ठेके में समाविष्ट होना चाहिए, इटेलियन से भिन्न किसी अन्तर्वस्तु के मामले में उसके वित्तपोषण के लिए इटेलियन प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य देते हुए एक पत्र सभरक से अवश्य प्राप्त करना चाहिए और यदि इटेलियन से भिन्न ऐसी अन्तर्वस्तु इटेलियन ऋण के अन्तर्गत शामिल करनी हो तो उसे ठेके में शामिल करना चाहिए।

4 2 यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब तक विशेष मामलों में पुराने उपस्कर के लिए इटेलियन प्राधिकारियों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं होता ऐसे उपस्कर इस ऋण के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए सामान्यतः पात्र नहीं होंगे।

4 3 इटेलियन ऋण की निधियों में सामान्यतः परिवहन (विदेशी) लागत केवल तब शामिल होगी जबकि पोत लदान इटेलियन पोत के मालिक द्वारा जारी किए गए लदान बिल के अधीन न किया गया हो। इसी प्रकार से ऋण के लिए पात्रता प्राप्त के करने के लिए बीमे का ठेका इटेलियन बीमा कम्पनियों के साथ करना चाहिए। इन दोनों मामलों में, इटेलियन ऋण के उपयोग को या अन्यथा रूप से ठेके को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि इटेलियन क्रेडिट निधि के आबंटन/रिलीज के समय ऋण की निधियां सुरक्षित रखी जा सकें।

4 4 ठेके के मूल्य के लागत बीमा भाड़े मूल्य का कोई भी भाग जो इटेलियन ऋण के अन्तर्गत न आता हो वह भारतीयों के स्वयं के स्रोतों से अदा किया जाएगा।

5 भुगतान की शर्तें

5 1 जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत के 10 प्रतिशत की तत्काल अदायगी आदेश देते ही सभरक को की जाए और यदि दस प्रतिशत से अधिक की तत्काल अदायगी आवश्यक समझी जाए तो ठेके को अन्तिम रूप देने से पहले डी ई ए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसी तत्काल अदायगी के लिए सभरक से एक बैंक गारंटी का सुनिश्चित किया जाए और ठेके में इस का उल्लेख यथोचित रूप से किया जाए।

5 2 ठेके से सम्बन्धित शेष भुगतान के लिये भुगतान की शर्तें ठेके के अधीन सप्लाई किये जाने वाले माल/सेवाओं के विशेष किस्म के लिये यथा प्रयोज्य सामान्य वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार होना चाहिये। माल के पोतलदान से पहले यदि कोई अवस्थावार भुगतान (स्टेज पेमेंट) अधिकृत किये गये हों तो उनकी अनुमति है। ऐसे अवस्थावार भुगतान (स्टेज पेमेंट) ठेके में स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए और ऐसे अग्रिम भुगतानों के लिये यदि आवश्यक समझा जाये तो सभरक से उचित समय में उपयुक्त बैंक गारन्टी प्राप्त कर लेनी चाहिये।

5 3 कुछ मामलों में संभरक/ठेकेदार के लिये अंतिम किश्त का भुगतान निर्माण करने, चालू करने, निष्पादन अनन्तिम या अन्तिम स्वीकृति आदि से उचित रूप से सम्बद्ध हो सकता है। ठेके में चालू, करने, निष्पादन जांच आदि के लिये ऐसे भुगतानों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये —

6 अन्य प्रावधान --

ठेके में निम्नलिखित बातें शामिल करने के लिये भी प्रावधान होने चाहिये

(क) ठेके का लागू होना अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन होगा कि यह इटेलियन ऋण के अन्तर्गत वित्त पोषण के लिये भारतीय और इटेलियन प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो।

(ख) तत्काल अदायगी सहित सभी भुगतान इटली के आवासीय बैंक द्वारा इटेलियन ऋण निधियों में से सीधे ही सभरक को किये जायेंगे।

(ग) संभरक द्वारा प्रत्येक भुगतान के लिये जो दस्तावेज एजेंट बैंक को प्रस्तुत करने हों वे ठेके में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये जाने चाहिये।

VI संविदा अधिसूचना और अनुमोदन

VI 1 संविदा की अनुमति के तुरन्त बाद आयातक को आर्थिक कार्य विभाग (ईईसी डिवीजन) को निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य भेजने चाहियें --

(1) भारतीय आयातक और इटेलियन सभरक दोनों द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत निष्पादित संविदा/या कोई संशोधन (संशोधनों) की दस प्रमाणित प्रतियां।

(2) सम्बद्ध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले अनुसूचित बैंक से एक बैंक गारन्टी (अनुबन्ध-2 के अनुसार) (यह बैंक गारन्टी सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी है), और

(4) प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुबन्ध-3 में निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में)।

VI 2 उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति होने के बाद आर्थिक कार्य विभाग इटेलियन प्राधिकारियों का अनुमोदन के लिये संविदा को अधिसूचित करेगा। आर्थिक कार्य विभाग एजेंट बैंक और "मिडियोक्रेडिटो सेंट्राले" को सम्भरक को साफ्ट" क्रेडिट राशि में से सीधे भुगतान के

लिये अलग में एक प्राधिकार पत्र भी जारी करेगा । निर्यात क्रेडिट्स के मामले में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसे प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

VII. सम्भरकों को भुगतान के लिये व्यवस्थाएं

VII.1. अनुमोदित संविदा के अधीन सम्भरक को देय भुगतान एजेंट बैंक द्वारा दिये जायेंगे इस प्रकार के भुगतान करने के लिये एजेंट बैंक को "मिडियो-क्रेडिटो सेंट्राले" (अथवा अन्य उधार देने वालों) से राशि प्राप्त करनी होगी और भुगतान की निर्धारित तारीख से कम से कम............दिन पहले एजेंट बैंक द्वारा ऐसा प्रत्येक प्राप्ति एवं भुगतान के आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिये ।

VII.2. संविदा के प्रावधानों और प्राधिकार पत्र के अधीन यथा-प्राधिकृत संभरक को किये गये प्रत्येक भुगतान के बाद ऐसे भुगतान के लिये संभरक द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल दस्तावेज और उनके साथ बैंक प्रभारों के ब्यौरों (यदि कोई हो) और अनुबंध-3 में आयातक के आवेदन पत्र में उल्लिखित भारतीय बैंक के लिये डाक खर्च आदि के ब्यौरे एजेंट बैंक को भेजे जायेंगे ।

VII.3 एजेंट बैंक से सूचना की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर ही भारतीय बैंक, बैंक प्रभार एवं केवल प्रभारों सहित डाक खर्च भारतीय सरकार के लेखे को प्रभावी किये बिना ही सीधे सम्बद्ध एजेंट बैंक को प्रेषित करेगा । इस प्रयोजन के लिये भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से आवश्यक रुपये वसूल किये जायेंगे ।

VII.4 बैंक प्रभारों, डाक खर्चों आदि के लिये ऐसे प्रेषण को छोड़ कर इटेलियन क्रेडिट के अधीन जारी किये गये आयातक लाइसेंस के अन्तर्गत भारत से कोई भी प्रेषण अनुमेय नहीं है ।

VIII. रुपया निक्षेप

VIII.1 एजेंट बैंक से दस्तावेजों की प्राप्ति के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर भारतीय बैंक को बजक में यथा संकेतिक विदेशी संभरक को किये गये भुगतान के बराबर रुपये और उस पर यथा-मूल्य एक प्रतिशत की दर से आनुषंगिक खर्चे जमा करने चाहिये । इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त राशि पर (अर्थात समतुल्य रुपये जमा 1 प्रतिशत यथा मूल्य) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी जो प्राधिकार पत्र (एल) में विशिष्टिकृत किया जायेगा और जो विदेशी संभरक को भुगतान की तारीख से समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक के बीच के वास्तविक समय के लिये होगा दोनों दिनों को शामिल करके सरकार को अदा किया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये ब्याज की वर्तमान दर प्रथम 30 दिनों की अवधि के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक हैं और इससे अधिक अवधि के लिये 18 प्रतिशत वार्षिक है । ब्याज की यह दरें सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी करके परिवर्तित की जा सकती है । ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रावधान सरकारी विभागों के लिये लागू नहीं होगा ।

VIII.2. समतुल्य रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21-7-72, सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-72 में दिये सूत्र के आधार पर निश्चित की गई मिश्रित दर के हिसाब से की जायेगी या उसे सरकार द्वारा समय-समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है ।

VIII.3. इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयातक को मूल दस्तावेज (जैसा कि ऊपर बताया गया है) देने से पहले धनराशि सरकारी लेखे में ठीक राशि जमा कर दी गई है । आयातक को भी इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि बैंक से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में उचित रूप से जमा कर दी गई है ।

VIII-4 इस राशि को या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 में जमा किया जा सकता है, या भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या इसके उपबंगी से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत के स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (प्रादेशिती तथा प्राणी) के नाम से और क्रेडिट के लिए उसे केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा किया जा सकता है । यह राशि सार्वजनिक सूचना सं. 74- आई.टी. सी. (पीएन) /74, दिनांक 31.5.74 में निर्धारित चालान में जमा की जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट ट्रेजरि चालान (विधिवत पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली -6 को सीधे ही जमा की जानी चाहिए । लेखा शीर्षक जिसके धनराशि जमा की जानी है वह के डिपोजिट्स एंड एडवांस (बी) डिपोजिट्स नॉट बेयरिंग इन्ट्रेस्ट 843 सिविल डिपोजिट्स फार परचेजिज फ्राम एब्रोड अन्डर इटेलियन क्रेडिट" है ।

VIII-5. ट्रेजरी चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो कि जमा रुपया विधिवत भारत के रिजर्व बैंक या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ ही डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध मे सूचना सम्बद्ध बैंक द्वारा सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को उनके द्वारा जारी गए प्राधिकार पत्र का उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजनी चाहिए । सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में निर्धारित ट्रेजरी चालान के फार्मेट के अन्तर्गत टिप्पणी -1 के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट को दर्ज करने की तारीख ही सरकार के खाते में समतुल्य रुपए जमा कराने की तारीख समझी जाएगी आयातकों से सही अवधि के लिए ब्याज की वसूली का सुनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि डिमांड ड्राफ्ट को जिस तारीख को दर्ज किया जाता है उसकी सूचना निरपवाद रूप से सी एए एण्ड ए को भेजा जाना अनिवार्य है ।

VIII-6. आयातक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह आवश्यक राशि केवल प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से ही जमा करें । भारतीय बैंक भी सार्वजनिक सूचना सं. 184- आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-6-68 में यथा अपेक्षित आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों को धनराशि का पृष्ठांकन करेगा और आवश्यक "एस" प्रपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजेगा । यदि रुपया जमा कराने में 180 दिनों से अधिक देर हो जाती है तो आर्थिक-कार्य विभाग को आगामी अनुदेश पत्र जारी करने से इन्कार करने का और/ या मुख्य नियंत्रक आयात- निर्यात को यह निदेश जारी करने का अधिकार होगा कि वह आयातक को नए आयात लाइसेंस जारी करना बन्द कर दें ।

VIII-7. यदि रुपये जमा कराने में 100 दिन से अधिक देरी होती है तो आर्थिक कार्य- विभाग को आगे कार्रवाही जारी करने अथवा संभरक को और प्राधिकार पत्र को देने से इन्कार करने और किसी नए लाइसेंस को जारी न करने के लिए मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को अनुदेश देने का अधिकार होगा ।

VIII-8. पोतलदान पूर्ण होते ही या संभरक को अन्तिम भुगतान होते ही परन्तु अन्तिम पोतलदान पारित होने के एक महीने से अधिक नहीं या संभरक को अन्तिम भुगतान होने के बाद आयातक के भारत बैंक द्वारा अनुबंध -4 में दिए गए प्रपत्र में पंजीकृत डाक द्वारा एक विवरण सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक ,आर्थिक कार्य विभाग, यूसीओ बैंक बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आयातक की सूचना देते हुए भेजा जाएगा । आयातक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि सम्बद्ध बैंक द्वारा अनुबंध -4 का प्रपत्र ठीक तरह से तैयार किया गया है और संबंधित अनुदेश पत्र में प्राधिकृत पोत लदानों के पूर्ण होने के एक महीने के भीतर वह प्रपत्र सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है । आयातक के लेखे को बंद करने और जहां कहीं बैंक गारन्टी हो उसको रिहा करने के लिए अनुबंध -4 में विवरण आवश्यक है ।

VIII-9. आयातक के बैंक/भारतीय बैंक की जानकारी में आने पर या सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा किसी एक को अथवा दोनों को

संकेत करने पर किसी भी कम निक्षेप को तुरन्त आयातक/भारतीय बैंक द्वारा सुधार दिया जाएगा और प्राप्त किए गए सम्बद्ध राजकीय चालान की प्रति आयातक के खाते को बन्द करने के प्रयोजनार्थ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी।

IX विविध

IX-1 भारतीय आयातक और इटेलियन संभरकों के बीच या भारतीय आयातक और सबद्ध भारतीय बैंक के बीच यदि किसी प्रकार का झगड़ा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेगी।

IX-2 भारतीय आयातक आयात लाइसेंस के संबंध में उठने वाले किसी एक मामले या सभी मामलों से संबंधित सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए किसी भी निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का और इटेलियन प्राधिकारियों का साथ ऋण समझौते के अधीन सभी दायित्वों का पूर्ण करने का तुरन्त पालन करेगा।

IX-3 इसमें निर्धारित किसी भी शर्त या किसी प्रकार का उल्लंघन करने या इसे तोड़ने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध- 1

रोम, जनवरी 25, 1985

अन्त सरकारी समझौता

इटली गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को विकास करने और इटली के पूंजीगत माल में वृद्धि करने एक टूंकी सयंत्र का भारत को निर्यात करने के लिए निम्न प्रकार समझौता किया है —

1 इटली गणराज्य के सक्षम प्राधिकारियों (इटली प्राधिकारियों) ने यथा संशोधित 24 मई 1977 का इटली कानून स 227 द्वारा तथा व्यवस्था के अनुसार सभी सम्बन्धित सेवाओं (इंजीनियरिंग ससाधन, तकनीकी ज्ञान, लाइसेंसिंग, तकनीकी सहायता, निर्माण आदि) के साथ संयंत्र, मशीनरी उपस्कर और अन्य पूंजीगत माल जिसमें सम्बन्धित संघटकों और इटली में विनिर्मित फालतू पूर्जे शामिल है, को खरीदने के लिए अमरीकी डालर 400,000,000 की धनराशि के लिए भारतीय आयातकों को क्रेताओं और अथवा संभरकों को क्रेडिट देने के लिए इच्छुक है। इस प्रकार के क्रेडिट भारत सरकार अथवा राज्य स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों द्वारा प्रतिभूत किए जाएंगे। उपर्युक्त क्रेडिट नीचे प्वाइंट 3 में बताए गए के अनुसार इटलियन निर्यातकों और भारतीय आयातकों के बीच हुए संविदाओं की तारीखों पर प्रचलित अन्तरराष्ट्रीय सामंजस्य की दरों (ऐसी दरों में क्रेडिट बीमा किस्त शामिल नहीं है) पर दिए जाएंगे। क्रेता क्रेडिटों के मामले में क्रेडिट के लिए समझौते जिसमें वे संविदाएं भी शामिल है जिन पर हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके है, इटलियन वित्तीय संस्थानों और भारतीय ऋणी द्वारा इस प्रकार के संविदाओं पर हस्ताक्षर होने के 6 महीनों के भीतर समाप्त हो जाने चाहिए।

2 भारत- इटेलियन संयुक्त समिति के छठे सत्र के दौरान हुए समझौते के अन्तर्गत उपर्युक्त ऋण भारतीय सरकार के साथ हुए समझौते में इटलियन सरकार द्वारा किए गए किसी भी नम्य ऋण के साथ-साथ दिए जा सकते है।

3 क्रेता का क्रेडिट (जिसमें से प्रत्येक साधारणत अमरीकी डालर 4,000,000 की धनराशि से कम नहीं होगा (इटलियन निर्यातकों और भारतीय आयातकों के बीच 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त होने वाले एक अथवा अधिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात लागू समझौते की तिथि के बीच किए ऋण समझौते की शर्तों के अधीन उपलब्ध किया जा सकेगा। दो सरकारों के बीच पारस्परिक समझौते द्वारा बाद की तारीख बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक संविदा का मूल्य अमरीकी डालर 300,000 से कम नहीं होगा और इसकी शर्तों में वित्तपोषित की जाने वाले इसके मूल्य का 85% से अधिक की धनराशि की व्यवस्था नहीं होगी यह मानकर कि शेष 15% की धनराशि आर्डर देने की तारीख (5% से कम नहीं) और पोत लदान के बाद भारतीय आयातक द्वारा अथवा उनके नाम पर नकद में देय होनी चाहिए और यह कि किसी भी गैर इटलियन माल का मूल्य और तकनीकी कारणों से किसी भी संविदा की शर्तों के अधीन दी गई सेवाएं भारतीय आयातकों द्वारा प्रभावित नकद भुगतान की प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4 क्रेता के क्रेडिट निम्नांकित पुनः भुगतान की शर्तों के लिए व्यवस्थित होगा —

(1) अमरीकी डालर 1,000,000 तक की व्यक्तिक धनराशि में संविदाए—10 समान सतत किश्तों में—प्रत्येक वर्ष का पहली छमाही में प्रभावित होने वाले भुगतान के सम्बन्ध में 30 सितम्बर के देय होने वाली पहली किश्त और अगले वर्ष का द्वितीय छमाही में प्रभावित होने वाली किश्त के सम्बन्ध में 31 मार्च को और शेष धनराशि इसके पश्चात अर्ध-वार्षिक 9 किश्तों में प्रभावित होगी।

(2) अमरीकी डालर 1,000,000 से अधिक और अमरीकी डालर 6,000,000 तक की व्यक्तिक धनराशि में संविदाए—17 समान सतत किश्तों में—जिसकी पहली किश्त आने वाले वर्ष को 30 जून को होगी जिसमें ऋण निधि ली गई है और उसके पश्चात 16 किश्तें इसके पश्चात अर्द्ध-वार्षिक होगी।

(3) अमरीकी डालर 6,000,000 से अधिक की व्यक्तिक धनराशि में संविदाएं —20 समान सतत किश्तों में—प्रत्येक वर्ष की प्रथम छमाही में प्रभावित होने वाले भुगतान के सम्बन्ध में पहली किश्त जो कि 30 सितम्बर को देय होती है और अगले वर्ष का द्वितीय छमाही में प्रभावित होने वाले अगले भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च और इसके पश्चात शेष 19 किश्तें अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगी। टूंकी संविदाओं के मामले पहली किश्त दूसरे वर्ष की 30 जून को देय होगी जिसमें कि ऋण निधि निकाली गयी है और इसके पश्चात शेष 19 किश्तें अर्ध-वार्षिक रूप में देय होगी। संभरकों के क्रेडिट में इस प्रावधान के साथ भुगतान की वही व्यवस्था होगी कि डिलीवरी की तिथि के पश्चात पहली किश्त 6 महीने के बाद होगी अथवा संयंत्रों के मामले में अनन्तिम स्वीकृति की तारीख के पश्चात होगी।

5 ब्याज बकाया में अर्द्ध-वार्षिक देय होगा और प्रत्येक निकाली गई राशि की तिथि से लागू होगी।

6 अन्त सरकारी समझौते के अधीन वित्त पोषित की जाने वाली संविदाएं अमरीकी डालर में हो जाएगी। और पूर्व निर्धारित विनिमय दर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं होगा।

7 भारत की तरफ से अनुरोध पर अमरीकी डालर 4,00,000 000 की कुल धनराशि का एक भाग 'खुले क्रेता क्रेडिट' के रूप में एक अथवा अधिक भारतीय राज्य स्वामित्व वित्तीय संस्थानों को व्यक्तिक धनराशि के रूप में जो कि अमरीकी डालर 8,000,000 से कम न हो इस समझौते के लागू होने के पश्चात समाप्त होने वाले वित्त पोषित की जाने वाली संविदाओं के लिए उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध कराए जाए और उन तारीखों के बाद जिनका प्रत्येक ऐसे 'खुला क्रेता क्रेडिट' को लागू किया गया है इसकी धारा 3 में बताई गई सम्बन्धित संविदाओं की शर्तों को ध्यान में रखे बिना के अनुसार 12 मास की अवधि के दौरान लागू किया जाए।

8. सामान्य और 'खुले' क्रेता क्रेडिटों (जिसमें भुगतान अवधि के अन्तराल के सम्बन्ध में प्रावधान, किसी भी अदेय शेष धनराशि पर कमीशन का भुगतान, ब्याज का भुगतान और चूककर्ता के विरुद्ध बचाव शामिल है) के सम्बन्ध में सभी तकनीकी एवं वित्तीय विवरण इटालियन मीडियम टर्म क्रेडिट संस्थान और सम्बद्ध ऋण समझौतों में भारतीय ऋणी के बीच स्वीकार्य होगा।

9. उस तारीख के बाद से इटालियन निर्यातकों और भारतीय आयातकों द्वारा जैसे ही संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं भारतीय प्राधिकारी इटली दूतावास के माध्यम से इटालियन प्राधिकारियों को अधिसूचित करेगा। इस समझौते में दी गई ऋण सुविधाओं के अधीन वित्त पोषण के लिए पात्रता सक्षम भारतीय एवं इटालियन प्राधिकारियों की पूर्व सहमति के अधीन होगी।

10. विशिष्ट मामलों में, इटालियन नियमों एवं विनियमों के अनुसार इटालियन प्राधिकारी वर्तमान समझौते की शर्तों में सुधार पर विचार करेंगे।

11. मैं प्रस्ताव रखूंगा कि वर्तमान नोट और आपके उत्तर के साथ संलग्न गोपनीय पत्र इस आशय के साथ दो सरकार के बीच एक समझौते के निर्माण के रूप में समझा जाएगा और कि यह समझौता आपके उत्तर की तिथि से प्रभावित होगा और जब तक पारस्परिक सहमति से रद्द न किया जाए, लागू रहेगा।

इस विषय वस्तु पर भारत सरकार के समझौते का आपको अवगत कराने के लिए मुझे हर्ष होता है।

महामहिम कृपया मेरे विचार के आश्वासनों को स्वीकार करें।

भवदीय,

ह.—

होमी जे. एच. तलीयारखान, भारतीय राजदूत

महामहिम,
निकोला कैपरिया,
विदेशी व्यापार मंत्री,
रोम।

अनुबन्ध-दो
बैंक गारन्टी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के हेतु इटालियन क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत (इसके बाद इसे आयातक) कहा गया है को उपर्युक्त इटालियन क्रेडिट के प्रति……रुपए के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं……दिनांक……के अनुसरण में आयातक द्वारा……के आयात के लिए भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम……उक्त क्रेडिट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक में इटली के अभिकर्ता बैंक द्वारा किए गए भुगतान की धनराशि को जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना सं. 108-आई टी.सी. (पी एन)/72 दिनांक 21-7-72 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28-1-72 में दिए गए फार्मूले या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ए.डी. परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगाकर विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित……के समतुल्य भारतीय रुपए तथा उसके साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1 प्रतिशत यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और उस पर इटालियन संभरक को भुगतान करने की तिथि से लेकर सरकार के लेखे में जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए प्रथम तीस दिनों के लिए……प्रतिशत वार्षिक दर एवं इससे अधिक अवधि के लिए……प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली, स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, शाखा दिल्ली-6 में सरकार के खाते में नकद निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे और यह संभव नहीं हो सकने की स्थिति में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) के नाम में और इसको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। दर्शनी हुण्डी राजकोष चालान (विधिवत भरे हुए और प्रेषणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 को सीधे भेजा जाएगा।

2. हम……बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजों के परक्राम्य सैट और/या संभरक के लिए भुगतानों से संबद्ध अन्य दस्तावेजों की रिहाई आयातक को केवल तभी की जाएगी जब कि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो।

3. हम……बैंक, किसी बकाया धनराशि की जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकायी हो जैसे कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो……रुपए से अधिक नहीं हो या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ संभरक को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर प्रथम 30 दिनों के लिए……प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए……प्रतिशत वार्षिक हिसाब से ब्याज तथा कमीशन और यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारों का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते हैं। आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे……बैंक द्वारा देय धनराशि के संबंध में त्रुटि होने पर हमारे……बैंक के लिए सरकार का निर्णय अंतिम और अनिवार्य होगा।

4. हम……बैंक, यह भी वचन देते हैं कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चे सहित बैंक तथा डाक प्रभारों को प्रेषित कर देंगे।

5. हम……बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा विनिमय की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर से या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आयातों के मूल्य में वृद्धि या संविदा के अंतर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य में वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारन्टी बाण्ड में उसी तिथि से और उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा।

6. हम……बैंक, आगे इस बात से सहमत हैं कि यह गारन्टी साज-सामान की सुपुर्दगी के विषय में उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारंटी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नहीं चुका दी जाएगी और हमें इसके दावों की संतुष्टि या प्रवायत: नहीं कर दी जाएगी तब तक पूर्ण-रूपेण लागू और प्रभावी रहेगी।

7. इस गारंटी बाण्ड में निहित जिम्मेदारी आयातक या……बैंक के संघटन में कोई परिवर्तन हो जाने पर प्रभावित नहीं होगी, और इस गारंटी में प्राप्त जिस धनराशि का भुगतान आयातक से कराना है उसको

चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार की गारंटी को रद्द किए बिना अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय के लिए या समय-समय पर आयातक के लिए विरुद्ध प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हमी और पूर्वोक्त मामले के संदर्भ में या आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या आयातक को सरकार द्वारा उसकी तरफ से किसी अनुग्रह के कारण कोई अन्य स्थगन, कार्य छूट या जिम्मेवारियों से संबंधित कानून के अंतर्गत किसी अन्य मामले से या किसी भी बात से सरकार के अधिकार की स्वतंत्रता के कारण · बैंक इस गारंटी के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा ।

8. हम · · · · बैंक, अन्त मे यह वचन देते हैं कि सरकार को लिखित रूप से पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे ।

9. इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व · · · · · रुपए (इस पर ब्याज व प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नहीं है, तक प्रतिबंधित है) और यह गारंटी · · दिन* · · · मास · · · · · · · 19 · · · · · · · · · · · · तक लागू रहेगी ।

10. जब तक इस गारंटी के अंतर्गत उक्त तिथि के डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप में दावे नहीं किए जाते और इसके बाद जैसी · · · · · · तक अगले 1½ वर्ष के भीतर जब तक इन दावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इस गारंटी के अंतर्गत सरकार के सभी अधिकार, समाप्त हो जाएंगे और हम उनमें निहित सारे दायित्वों से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे ।

श्री · दिन व तारीख · · · · · · · · · · · · · ·
(नाम और ओहदा) कृते · · · · · · · · · · · · · · · · ·

के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए

उनकी ओर से स्वीकृति

हस्ताक्षर · · · · · · · · · · · · · · · · ·

*यह तिथि जिस तिथि को संभरकों के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की संभावना है, उसमें एक मास जोड़ते हुए निश्चित की जाएगी।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त कंडिका 3 और 9 के अनुसार बैंक गारंटी का मूल्य संविदा के मूल्य के लिए आयात लाइसेंस के जारी करने की तारीख को प्रचलित सीमा-शुल्क विनिमय दर में 1 प्रतिशत जोड़कर ही निकाला जाना चाहिए ।

2. वह स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली हैं, उसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार कलक्टर द्वारा निर्मित किया जाना है ।

अनुबन्ध–3

(दो प्रतियों में)

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

(दो प्रतियों में भेजा जाना है)

सं · · · · · · · · · · · · · · · · दिनांक · · · · · · · · · · · · · · · ·

सेवा में,

सचिव, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग, ई. ई. सी. प्रभाग,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–1

(ध्यान :)

विषय :—इटैलियन क्रैडिट के अन्तर्गत आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रैडिट के अन्तर्गत इटली से · (माल तथा सेवाओं का संक्षिप्त विवरण) का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित ब्यौरा देते है और एतद्द्वारा · · · · · · · · · · · · · अमरीकी डॉलर की धनराशि (जहाज पर्यन्त नि.शुल्क/लागत तथा भाड़ा/लागत-बीमा-भाड़ा) के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं :—

(क) आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस

(1) संख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(4) वैधता अवधि

(ग) इटेलियन संभरक का नाम और पता

(घ) संविदा की तिथि/संशोधन

अथवा

संभरकों द्वारा आदेश की फाइनल स्वीकृति की तिथि ।

(ङ) गैर इटैलियन मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई* हो

*गैर-इटैलियन तत्व दिखाने वाले संभरक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र की दो प्रतियां संलग्न करें ।

(च) संविदा का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत——अमरीकी डॉलर घटा भारतीय एजेन्ट का कमीशन,
यदि कोई हो · अमरीकी डॉलर
कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य · · · · · · · · · अमरीकी डॉलर
भाड़ा ·
बीमा ·
कुल ·

(छ) संभरक को की जाने वाली संभावित भुगतान की अनुसूची

	तिमाही अवधि	भुगतान

(ज) यदि भुगतान दस्तावेजों के मद्दे किए जाने हैं ।

आयातक द्वारा प्रमाणित किया जाना है,

नाम निर्दिष्ट करें · श्री · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
पद · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(हस्ताक्षर के नमूने की 3 प्रतियां संलग्न करें)

(झ) भारतीय बैंक का नाम ·
और पूरा डाक पता ·

2. संविदा/संशोधन की दस प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो प्रतियां संलग्न हैं ।

†3. एक बैंक गारंटी जो, ...
....

(विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पूरा डाक पता) द्वारा स्थापित की गई है और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित की गई है वह भी संलग्न है। आयात दस्तावेज इस बैंक को भेजे जाए।

इस बैंक द्वारा प्रस्तुत गारंटी का मूल्य .... है, दिनांक .... है, और .... तक वैध है।

**3. आयात दस्तावेज .... को भेजें। (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा या इसके सहायक बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का पूरा नाम और डाक पता)।

4. एतद्द्वारा इस बात पर सहमति है कि इटेलियन संभरक को किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए लाइसेंस शर्तों में यथा निर्धारित रुपया निक्षेप उपर्युक्त कंडिका III में उल्लिखित बैंक के माध्यम से सरकार के लेखों में किए जाएंगे। इस बात पर सहमति हो गई है कि संगत आयात दस्तावेज मूल्य परक्राम्य लदान वस्तावेज सहित उक्त बैंकर्स द्वारा हमें तभी रिलीज किए जाएंगे जब धनराशि सरकार के लेखे में जमा करा दी जाती है। हम उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित बैंक के माध्यम से उस बैंक को आवासीय इटेलियन बैंक के प्रभारों (कमीशन, डाक, तार खर्चों आदि) को भी प्रेषित करने के लिए सहमत है।

5. हम वचन देते है कि सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस शर्तों के सभी प्रावधानों को मानेंगे और उनको अनुपालना करेंगे जिसके लिए आवेदन किया गया है।

6. आपसे अनुरोध है कि इटेलियन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तपान करने के लिए संविदा अनुमोदित करा लें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिए इटेलियन प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें।

भवदीय,

लाइसेंसधारी/आयातक

*जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिए।

†निजी क्षेत्र के आयातकों के लिए लागू।

**सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य और केन्द्रीय राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए लागू।

अनुबंध-4

इटेलियन क्रेडिट के अधीन वित्तपोषित आयातों के संबंध में, पोतलदानों को पूरा करने के बाद अथवा संभरक को भुगतान पूर्ण करने के पश्चात् एक मास के अन्दर भेजे जाने वाला विवरण/आवेदन।

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस सं.

*3. बैंक गारन्टी
   (1) संख्या
   (2) तिथि
   (3) धनराशि रु ....
   (4) गारन्टर बैंक का नाम

4. वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या तथा तिथि

5. प्राधिकार पत्र का मूल्य

6. संभरक को किए गए भुगतान का कुल योग

7. प्राधिकार पत्र का अनुपयोगी मूल्य अर्थात् कालम 5 से 6 तक की धनराशि जो कि एतद्द्वारा अवांछित प्रमाणित की गई है।

8. इटेलियन एजेंट बैंक द्वारा मांगी गई धनराशि अर्थात् बैंक खर्चे, डाक और केबिल खर्चे आदि जा कि सीधे उस बैंक को प्रेषित कर दिए गए हैं।

(1) प्रेषण की तिथि

(2) प्रेषित धनराशि

9. संभरक को किए गए भुगतान का ब्यौरा और उसके अनुरूप जमा किया गया रुपया :—

संभरक के लिए भुगतान		अनुरूप जमा किया गया रुपया	
तिथि	धनराशि अमरीकी डालर	ट्रेजरी चालान एस बी आई/आर बी आई तिथि	धनराशि रु.
1			
2			
3			
4			
योग			

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार ऊपर दी गई सूचना ठीक है। हम एतद्द्वारा इस प्राधिकार पत्र से सम्बन्धित मामले को बन्द करने के लिए अनुरोध भी करते हैं। ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी * कृपया रद्द कर दी जाए और हमें वापस कर दी जाए।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भारतीय बैंक

* केवल निजि क्षेत्र आयातकों के लिए लागू।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 57-ITC(PN)|85—88

New Delhi, the 20th December, 1985

Subject.—Licensing Conditions for Italian Credits.

F. No. IPC|23(22)|84-85.—The terms and conditions governing imports under the Italian Credits as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 57-ITC(PN)|85—88 dated the 20th December, 1985

Licensing Conditions.

1. The Government of the Republic of Italy provide on a bilateral basis soft credits and grants to the Government of India to finance costs of Italian goods and services for specific projects mutually agreed between the two Governments. For each of the credit financing, a financial convention spelling out the arrangements for drawal of funds, repayment and interest payments, etc. is concluded between the Government of India and Mediocredito Centrale. Essentially, the credit funds are available only for direct paymen to Italian suppliers. Against these credit funds, the Gover ment of India allocates foreign exchange to the proje holder to facilitate issuance of appropriate import licence accordance with the import policy of the Government India. The project holder|importer has to deposit equivale Rupee funds into the account of the Government of Ind against payments made to Italian suppliers from the credi funds on behalf of the project-holder|importer.

2. The Government of Italy has also agreed to authorise financial institutions in Italy to provide export credits as buyer's credits, suppliers credits or as credit lines to Indian financial institutions. The principal terms of these credits are contained in the inter-Governmental agreement dated 25-1-85, a copy of which is at Anne. I For such export credits, a loan agreement has to be concluded between the borrower and the lender, with a guarantee by Government of India or a Government owned Indian Bank or institution; for suppliers credit, however, the credit terms will have to be incorporated in the supply contract itself, together with an appropriate guarantee.

3. The Government credits|Grants and the export credits from Italy can be used either independently or on a mixed-financing basis as may be mutually agreed between the two Governments in respect of individual projects. The administration and approval of these Italian credits is done by the Department of Economic Affairs (DEA) in the Government of India.

4. Taking into account the conditions and operational requirements enjoined by the Italian authorities, the following procedures and licensing conditions are hereby prescribed by the Government of India for information and compliance by importers|project holders. They come into force immediately and will remain in force with such modifications as may be notified from time to time.

I Selection and approval of Projects.

I. 1 Each project to be financed by Italian credits requires prior approvals of Italian authorities. To seek and obtain such approval, following details need to be furnished to DEA (EEC Division) in a self-contained note, in four copies :

(a) broad description of the project, together with estimated costs, starting and commissioning dates, location of the project and details of implementing authority specially highlighting its status (corporate or otherwise), managerial and financial capability to implement the project, etc.

(b) developmental significance of the project (e.g. employment orientation, rural development, relation to important sectors like agriculture, energy, etc), approval of the project investment and of its inclusion in Plan; if applicable.

(c) cost benefit analysis with reference to profitability, including a general assessment of non-quantifiable social benefits;

(d) breakdown of total costs into major components, showing foreign exchange element separately for each component;

(e) items and value of goods and services of Italian origin, with names of suppliers if already identified, if not estimates thereof and the basis of estimation of costs and source. Procurement method for selection of suppliers (tendering, negotiation, etc.) adopted or proposed to be adopted.

I. 2 As the source of financing of imports of goods & services of Italian origin (soft credit, export credit, mixed financing, etc.) is to be mutually agreed upon between the two Governments, all intending importers, including applicants to the capital goods committees and the Empowered Committee, are required to furnish the self-contained note to DEA (EEC Division) as early as possible, and well before applying to the CG / Empowered Committee. The importer's application to the CG/Empowered committee can be considered only if DEA has received the self-contained Note and a response thereon is available.

llocation under Italian Credit.

Allocation|releases of foreign exchange against Italian nds will be made by DEA (EEC Division), inter-alia, ight of its consultation with the Italian authorities.

Unless otherwise agreed by DEA in deserving cases, ocations|releases will have to be effectively used by ters by obtaining import licence, within a period of four months. In the absence of a receipt by DEA within this period of either—(i) a request for extension of the time limit with reasons therefor, or (ii) a copy of import licence (in duplicate) obtained, or (iii) in the case of OGL items, an intimation that the order has been placed on the supplier, the allocation/release will be cancelled by DEA.

III. Import Licence.

III.1 Import Licence will be issued by the Office of the Chief Controller of Imports & Exports (CCI&E) in accordance with the import Policy. The Import Licence will :—

(a) provide a validity period of four months for contracting, which may be extended for a period of upto further four months on request with valid reasons therefore. Any request, for extension beyond 8 months from the date of issue will have to be referred to DEA and will be considered by it only in special deserving cases.

(b) show the Rupee value, on c.i.f. basis, calculated at the Customs rate of exchange prevailing on the date of issue of Licence, which rate will be specified in the Licence.

(c) will normally provide validity period for completion of shipments of 24 months in the case of capital goods and 12 months in other cases.

(d) will bear a superscription "Italian Credit"

(e) will include in its value the commission payable to the Indian agent; if any.

III. 2 Immediately on the issue of the import Licence, the importer should send to DEA two photocopies of the licence and advise the expected date of the contract with the supplier.

IV. Contract with Supplier.

IV. 1 The importer should ensure that the contract is concluded with the Italian supplier expeditiously, within the validity period indicated in III. 1 (a) above.

IV. 2 Unless otherwise agreed by DEA in advance, only one contract will be concluded against each import licence, also, the contract value should be equal to the value of the Italian credit allocated or released by DEA. Part financing of the f.o.b. value from other sources should be avoided in particular.

IV. 3 Each contract should invariably be a complete, self contained document, signed by both parties in token of award by the importer and acceptance by the supplier. A contract in the form of a series of correspondence between the parties, or a contract signed and accepted by an Indian agent will not normally be accepted.

IV. 4 Any amendment or modification of a contract should also be signed by the importer and the supplier, and should be promptly advised by the importer to DEA, in ten copies as in the case of the original contract necessary amendment of the import licence, if any, should also be ensured by the importer, and advised to DEA.

V. Terms & Conditions of contract.

Special care should be taken by the importer to ensure strict compliance with the following terms and conditions :

1. Currency.—As the Italian Credits are in US Dollars, the contract should be denominated and should provide for payments to supplier in US Dollars. Any departure from this provision must be got approved from DEA in advance of the conclusion of the contract.

2. Price.—The contract should indicate firm price on f.o.b., c&f or c.i.f. basis; price escalation, if unavoidable, may be provided with an unambiguous formula, preferably with a fixed ceiling. The contract should normally be on c.i.f. basis, unless marine insurance is contracted with Indian insurance company. In any case, the contract must indicate separately

and distinctly the f.o.b. price, freight charges and insurance cost, as well as Indian agents commission, if any; such commission will be payable by the importer to the agent only in Indian Rupees and the contract should clearly indicate this.

3. Minimum Value.—The minimum value of the contract (fob) eligible for coverage under Italian credit is US $ 300,000.

4. Origin of goods :

4.1 Italian credit is available primarily to pay for goods and services of Italian origin; however, it may be extended to cover goods & services which originate in other countries but are subcontracted by and incorporated in deliveries to be made by Italian supplier and therefore remain under the supplier's responsibility and conform to the limits and conditions fixed by the Italian authorities. For this purpose a stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract; in the case of any-non-Italian content a letter evidencing approval of the Italian authorities to the financing thereof must be secured from the supplier and embodied in the contract, if such non-Italian content is to be covered under Italian credit.

4.2 It is to be noted that supply of second-hand equipment is not normally eligible for credit financing unless prior approval of the Italian authorities is available therefor in particular cases.

4.3 Italian credit funds would normally cover the transportation (overseas) costs only if shipment is effected under a bill of lading issued by an Italian shipowner. Similarly, in order to quality for credit coverage, insurance must have been contracted with Italian insurance companies. In both these cases, use of Italian credit, or otherwise, must be envisaged at the time of finalising the contract so that credit funds can be reserved thereof at the time of allocation|release of Italian credit funds.

4.4 Any portion of the c.i.f contract price, if not covered under Italian credit will be payable from Indian's own resources.

5. Payment terms :

5.1 A down-payment of upto ten percent of the f.o.b. price may be made to the supplier immediately on order if considered necessary for a down-payment of more than ten percent, prior approval of DEA must be obtained before finalisation of the contract. A bank guarantee from the supplier against such down-payment may be ensured and provided for in the contract as appropriate.

5.2 Terms of payment for the balance of the contractual payment should be in accordance with normal commercial practice as applicable to the particular type of goods|services to be provided under the contract, stage payments prior to the shipment of goods, if warranted, are permissible, such stage payments must be clearly defined in the contract and appropriate bank-guarantees against such advance payments should be obtained from the supplier in due time, if considered necessary.

5.3 In certain cases, payment of the last instalment to the supplier|contractor may be justifiably linked to erection, commissioning, performance, provisional or final acceptance, etc., The contract should provide for such payments falling due on commissioning, performance tests, etc.

6. Other provisions.—The contract must also include provisions to cover the following :—

(a) The effectivity of the contract will, inter-alia, be subject to the approval of the contract by the Indian and Italian authorities for financing under the Italian Credit.

(b) All payments to the supplier, including the down payment, have to be amde by an agent bank in Italy directly from the Italian Credit funds.

(c) The documents which have to be presented by the supplier to the agent bank for each payment must be clearly stipulated in the contract.

VI. Contract Notification and Approval.

VI. 1 Immediately on conclusion of the contract, the importer must forward to Department of Economic Affairs (EFC Div.) :

(i) ten certified copies of the contract and|or any amendment(s) duly executed in English language with dated signatures thereon by both the Indian Importer and the Italian supplier.

(ii) two photo copies of the relevant import licence.

(iii) a guarantee (as in Annexure II) obtained from a scheduled bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. This bank guarantee is not required to be furnished by Government departments and public undertakings, and

(iv) a request (in duplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annex III.

VI. 2 On receipt of the above documents, Department of Economic Affairs will notify the contract, to the Italian authorities for approval. DEA will also separately issue the letter of Authority to the Agent Bank and Mediocredito Centrale, for payments to the supplier directly from soft, credit funds. In the case of export credits, no such Letter of authority will be required to be issued by DEA.

VII. Arrangements for Payments to Supplier

VII.1 Payments to the supplier due under the approved contract will be made by the agent bank, for making such payments, the agent bank will have to draw funds from Mediocredito Centrale (or other lenders) and the request for each drawal and payment has to be received by the agent bank at least.... .....days before the due date of payment.

VII.2 After each payment to the supplier in accordance with the contract provisions and authorisation under the LA, the original documents presented by the supplier for such payment will be forwarded by the agent bank, alongwith details of bank charges (if any) and expenses on postage etc., to the Indian Bank, nominated by the importer in the request as at Annexure III.

VII. 3 Within one week of receiving the advice from the agent bank, the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the Agent Bank concerned without affecting the Government of India's account. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian Bank from the Indian importer.

VII.4 Except such remittance for banking charges, postage, etc., no remittance from India is permissible under an import licence issued under Italian credit.

VIII. Rupee Deposits.

VIII.1 Within a maximum of ten days from receipt of the documents from the agent bank, the Indian Bank must arrange deposit of the rupee equivalent of the payment made to the foreign supplier as indicated in the invoice and commission and incidental charges @ 1 per cent ad velorem thereon. In addition, interest on the above (i.e. rupee equivalent plus 1 per cent Ad velorem) at the rate(s) prescribed by the Government of India which will be specified in the LA will also be payable to the Government for the actual interval between the date of payment to the foreign supplier and the date of deposit of rupee equivalent both days inclusive. The interest rate presently prescribed for this pur is 12 per cent per annum for the period of first 3(and 18 per cent per annum for the period in exces days. These rates of interest are liable to be cha Government from time to time by issuance of Public by Chief Controller of Imports & Exports. The pro regarding payment of interest will not apply to the C ment Departments.

VIII.2 The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-72; as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21-1-72; the Public Notice No. 108-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Chief Controller of Imports and Exports.

VIII.3 It will be the responsibility of the concerned Indian bank, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original document (referred to in the above) are handed over to the importer. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account, before taking delivery of the documents from the bank.

VIII. 4 Deposits may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from a local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and payee) for credit to the Central Govt. Account. The deposit should be made in the challan from prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan, (duly filled in and signed by remitter) in quardruplicate. The Head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances (b) Deposits not bearing interest 843 Civil Deposits for purchases from abroad under Italian Credits".

VIII.5 One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposit duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi as well as the intimation regarding the furnishing of demand draft to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi should be sent by registered post by the concerned Indian Bank to Controller of Aid Accounts & Audit indicating reference to the letter of instruction issued by Department of Economic Affairs. In accordance with Note 1 under the format of the treasury challan prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5 74 the date of posting the demand draft will be deemed to be the date of deposit of rupee equivalent in the Government Account. To ensure recovery of interest from importers for the correct period, it is essential that the date of posting of the demand draft is invariably intimated to Controller of Aid Accounts & Audit.

VIII.6 It will be obligatory for the importer to make the requisite rupee deposit only through an Authorised Dealer. The Indian bank will also ensure the amount of rupee deposit on the exchange control copy of the import licence as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)|68 dated 30-8-68 and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

VIII.7 If Rupee deposit is delayed by more than 100 days, Department of Economic Affairs will have a right to refuse issue of further LA, and|or to instruct CCI&E to suspend issue of any new import licence to the importer.

VIII.8 As soon as the shipments are completed or final payment is made to the supplier, but not latter than one month after the last shipment is cleared or last payment to supplier is made a statement in the form given in the Annex IV will be rendered by the Indian Bank to the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi under a registered cover, under advice to the importer. It will be obligatory on the part of the importer to ensure that Annexure IV is correctly prepared
' the Bank concerned and is rendered to the Controller of
4 Accounts & Audit within one month of the completion
ipments authorised in the relevant Letter of Instructions.
nent in Annexure IV is necessary for closing the im-
-rs account and for releasing the Bank guarantee wher-
applicable.

VIII. 9 Any short deposits coming to notice of importer/ idian Bank or pointed out by the Controller of Aid Accounts & Audit to either or both of them will be immediately made good by the importer|Indian Bank and copy of the relevant receipted treasury challan forwarded to Controller of Aid Accounts & Audit for closing the importer's account.

IX. Miscellaneous.

IX. 1 The Government of India will not undertaking any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the Italian supplier or between the Indian importer and the Indian Bank concerned.

IX.2 The Indian importer shall promptly comply with any direction, instruction, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement with the Italian authorities.

IX.3 Any breach or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and orders issued thereunder.

ANNEXURE-I

Rome, the 25th January, 1985

INTER GOVERNMENTAL AGREEMENT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India have agreed as follows in the interest of developing trade relations between their respective countries and expanding Italian capital goods and turnkey plant exports to India :

1. The competent authorities of the Republic of Italy ("the Italian authorities") are willing to extend buyer's and/or supplier's credits to Indian importers for an amount upto US $ 400,000,000 to be used to purchase plant, machinery equipment and other capital goods including related components and spare-parts manufactured in Italy, together with all related services (process engineering, know-how, licenses, technical assistance, erection, etc.) as provided for by Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended. Such credits will be guaranteed by the Government of India or State owned Financial Institutions or Banks. The above credits will be granted at the international consensus rates (such rates not to include credit insurance premiums) ruling at the dates of contracts concluded between Italian exporters and Indian importers as described in point 3 below. In the case of buyer's credits, agreements for credit lines covering contracts already signed must be concluded by the Italian financing Institutions and the Indian borrower not later than six months after such contracts have been signed.

2. In the framework of the understanding reached during the sixth session of the Indo-Italian Joint Committee, the above credits may be drawn down in parallel with any soft loan that may be granted by the Italian Government in agreement with the Indian Government.

3. The buyer's credit (each of which will normally be in an amount of not less than US $ 4,000,000) would be made available under the terms of loan agreements to be entered into after the signing of one or more contracts betwen Italian exporters and Indian importers to be concluded between the date this Agreement comes into force and December 31, 1987. The latter date may be extended by mutual agreement between the two Governments. The value of each contract shall not be less than US $ 300,000, and the terms thereof shall provide for not more than 85 per cent of its value to be financed, on the understanding that the balance of 15 per cent must be payable in cash by or on behalf of the Indian importer between the date of the order (not less than 5 per cent) and shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the

percentage of cash payment to be effected by the Indian importer.

4. Buyer's credits shall provide for the following repayment terms :—

I. Contracts in individual amounts of upto US $ 1,000,000—In 10 equal successive instalments the first of which shall fall due on September 30 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceeding year and the remaining nine instalments half-yearly thereafter.

II. Contracts in individual amounts ranging from more than US $ 1,000,000 up to US $ 6,000,000.—in 17 equal successive instalments, the first of which shall fall due on June 30 of the year following that in which the loan funds are drawdown and the remaining sixteen instalments half-yearly thereafter.

III. Contracts in individual amounts of more than US $ 6,000,000—in 20 equal successive instalments, the first of which shall fall due on September 30 in respect of drawdowns effected in the first half of each year and on March 31 in respect of drawdowns effected in the second half of the preceding year and the remaining nineteen instalments half yearly thereafter. In the case of turnkey contracts the first instalments shall fall due on June 30 of the second year following that in which the loan funds are drawdown and the remaining nineteen instalmets half yearly thereafter.

Supplier's credit shall provide for the same repayment terms with the proviso that the first instalment shall fall due six months after the dates of delivery or in the case of plants after the date of the provisional acceptance.

5. Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each drawndown.

6. Contracts to be financed under the Inter-governmental Agreement shall be expressed in U.S. dollars, and shall not contain any clause providing for a predetermined exchange rate.

7. Upon request from the Indian side a portion of the total amount of US dollars 400,000,000 may be made available to one or more Indian State-owned Financial Institutions in the form of "open buyer's credits" in individual amount of not less than US $ 8,000,000 to be used towards financing contracts to be concluded after the coming into force of this Agreement and during the twelve month period subsequent to the dates on which each such "open buyer's credit" come into force without prejudice to the terms and conditions of the contracts concerned as set out in Clause 3 hereof.

8. All technical and financial details regarding the normal and "open" buyer's credits (including provisions in respect of the duration of the drawdown period, payment of commission on any undrawn balances, payment of interest and protection against default) shall be agreed between the Italian medium-term credit Institutions involved and the Indian Borrower in the relevant loan agreements.

9. The Indian authorities shall notify the Italian authorities through the Embassy of Italy as and when contracts are signed by Italian exporters and Indian importsrs as from the date hereof.

Eligibility for financing under the credit facilities provided for in this Agreement shall be subject to the prior consent of the competent Indian and Italian Authorities.

10. The Italian Authorities will consider improvements of the terms of the present agreement in conformity with Italian laws and regulations, in specific cases.

11. I would propose that the present note and the annexed confidential letter, together with your reply in that sense shall be regarded as constituting an agreement between the two Government in the matter, and that this agreement shall become effective from the date of your reply and shall remain in force until terminated by mutual consent."

I have the pleasure to convey to you the agreement of the Government of India on its contents.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Yours very truly,

Sd/-

Homi J. H. TALEYARKHAN, Ambassador of India

His Excellency
Nicola Capria
Minister of Foreign Trade
ROME

ANNEXURE II

BANK GUARANTEE BOND

The President of India,

In considering of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment for the import of——————— by——————— under the terms (hereinafter called the importer) and conditions of the Italian Credit and in pursuance of Import Licence No. ——————— issued on ——————— for Rs. ———————in favour of the importer against the above mentioned credit. We ———————Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursement made by the Italian agent Bank within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupee equivalent of ——————— ———————converted at the composite rate exchange arrived at on the basis of the formula given in Public notice issued by the Ministry of Finance foreign Trade. New Delhi No. 15-ITC(PN)|72 dated the 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated the 21st July, 1972 or as notified from time to time in public notices of the Government of India or AD Circulars of the Reserve Bank of India alongiwth commission and other charges at 1 per cent ad valorem converted at the above rate for credit to the Government Account in the manner and against the appropriate Head of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the Italian Supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. We shall arrange the deposit in cash to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6, or where this may not be feasible, by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The Demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 alongwith Treasury Challan (duly filed in and signed by remitter), in quadruplicate.

2. We the ———————Bank, also undertake that the negotiable set of import documents and/on other documents pertaining to the payments to the supplied will be released to the importer only after the rupee deposit contemplated above is affected.

3. We, the ———————Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may direct such sums not exceeding Rs. ———————or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with commission and other charges @ 1 per cent ad velorem ar interest thereon at the rate of 12 per cent per annum the first thirty days and at 18 per cent per annum for period in excess thereof reckoned from the date of pay to the supplier. The decision of the Government as to default in the said payment by the importer, or on his and in regard to the amount payable to the Government us..............................Bank, shall be final and bindi on the .... Bank.

4. We,————————Bank also undertake to remit the banking postal and cable charges payable to the Italian agent Bank concerned without affecting the Government of India's account.

5. We ————————Bank further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in composite rate of exchange or otherwise, the amount of this guarantee bond will be adjusted to this change.

6. We, ———————— Bank, further agree that the guarantee therein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract regarding delivery of the equipment and it shall continue to be enforced till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the..... .... Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the————————Bank. shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so released the———————— Bank from its such liability.

8. We. ————————Bank. lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs. ————————(Plus interest charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the ... day* of ... Month, 19.., ...

10. Unless claims under this guarantee are made in writing within 1½ years of the above said date and unless a suit for action to enforce these claims is commenced within another 1½ years thereafter, i.e. upto ..... all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder

Dated... . d of... . . for

Accepted for and on behalf of the President of India by

Shri ....

(Name & Designation)

Signature........ ....

*This date shall be arrived at by adding one month to the last date by which all payments to the suppliers are expected to be made.

NOTE : —1. The value of the Bank guarantee, vide para 3 and 9 above should be worked out by adding 1 per cent to the value of the contract at the Customs exchange rate prevailing on the date of issue of import licence.

2. The value of the Stamp paper on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the collector of Stamps in accordance with section 31 of the Stamps Act, 1899.

ANNEXURE III

(In duplicate para)

Request for issue of Letter of Authority
(To be sent in duplicate)

No. Date

To

The Secretary.
Ministry of Finance,
Deptt. of Economic Affairs,
I I C Division, North Block,
New Delhi. 110001.

(Attention....... .. ..

Sub :—Import under Italian Credit

Sir,

In connection with the import.............(Short description of the goods or services) from Italy under the above credit, we furnish the following particulars and hereby apply for the issue of a Letter of Authority for an amount of US $ .... (fob/C&F/c.i.r.)

A. Name and Address of Importer................

B. Import Licence :

1. Number................
2. Date...............
3. Amount...............
4. Validity period...............

C. Name and Address of the Italian Supplier ......

D. Date of the Contract/amendment

OR

Date of Supplier's final acceptance of the order.

E. Percentage of goods of non-Italian origin, if any* :

F. Value of the contract :

FOB Price : US$

Less : Indian Agents Commission, if any US$

Net FOB : US$

Freight : ————————

Insurance :————————

Total : ————————

*Two copies of supplier's signed certificate showing the non-Italian element should be attached.

G. Schedule of expected payments to the supplier :— (quarterly)

Quarter	Payment

H. If payments are to be made against documents.

To be certified by the importer, indicate the

Name of : Shri ————————

position ————————

(Attach 3 copies of his specimen signatures).

1 Name of the Indian Bank ———————————

and full postal address :———————————

2. Ten certified copies of the contract|amendment and two copies of the import licence are enclosed.

3. *A bank guarantee furnished by .... (name and full Postal Address. .... of the Indian Bank, authorised to deal in foreign exchange and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps in accordance with Section 31 of the Stamps Act, 1899, is also enclosed. Import documents may be sent to this Bank. This Guarantee furnished by this bank is dated........... for the value of Rs.................. and is valid upto...............

3.** The import document may be sent to the .... completed name and postal address of the Branch of the State Bank of India or its subsidiary or of the branch of any nationalised bank).

4. It is hereby agreed that, for each payment made to the Italian supplier rupee deposit as contemplated in the Licensing conditions will be made into the Government account, through the Bank mentioned in I above. It is also agreed that the relevant Import documents including the original negotiable shipping documents in will be released to us by the above bank only after the Rupee deposit into Government account is affected. We also agree to remit to the Italian agent bank's charges (commission, postal charges, cable charges etc.) direct to that Bank, through the bank mentioned at 3 above.

* Applicable to importers in private sector.

** Applicable to the public sector and State and Central State Government undertakings.

5. We undertake to abide by and comply with all provisions of the Licensing Conditions prescribed by the Government pursuant to which this request is made

6. You are requested to get the contract approved for financing under the Italian Credit and issue necessary authorisation to the Italian authorities to arrange for payments to the supplier.

Yours faithfully,

Licensee/Importer

*Delete whichever is not applicable.

ANNEXURE IV

Statement/appliaction to be submitted within one month after the completion of shipments or completion of payment to the supplier, in respect of imports financed under French Credit :

1. Name of Importer

2. Import Licence No.

3*. Bank guarantee

(i) No.

(ii) date

(iii) Amount Rs.

(iv) Name of the Guaranter Bank

4. Ministry of Finance Letter of Authority No. & Date

5. Value of Letter of Authority :

6. Total of payments made to supplier.

7. Unutilised value of the Letter of Authority (i.e. 5-6) which amount is hereby certified as not required :

8. Amounts claimed by the Italian Agent Bank i.e. bank charges, postal and cable charges etc., which have been remitted to that bank direct.

(i) Date of remittance :

(ii) Amount remitted :

9. Details of payments made to the supplier and corresponding rupee deposits.

Payment to supplier		Corresponding rupee deposit		
Date	Amount US $	Trensury SBI/ RBI	challan of Date	Amoun Rs.
(i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
Total :				

We certify that the information given above is correct as per our records. We also hereby request for closure of the case relating to this Letter of Authority. The bank guarantee* referred to above may kindly be cancelled and returned to us.

Authorised signature

(Indian Bank)

*Applicable for private sector Importer only.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986